न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 402/17 (RCMS No. 2017/00424) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

आम जनता चौथ का बरवाडा जरियेः—

1. नरेन्द्र कुमार जैन पुत्र जयकुमार जैन जाति महाजन निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. मौ0 हनीफ पुत्र पीर मौहम्मद जाति मुसलमान निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
3. महेन्द्र कुमार पुत्र मूलचन्द जैन जाति महाजन निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
4. कालूराम पुत्र धन्ना लाल मीना जाति मीना निवासी बलरिया हाल निवासी चौथ का बरवाडा
5. विमल कुमार जैन पुत्र गुलाब चन्द जैन जाति महाजन निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
6. सत्यनारायण पुत्र बजरंग लाल जाति ब्राहमण निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
7. सुनील कुमार जैन पुत्र राजमल जैन जाति महाजन निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
8. विमल कुमार पुत्र भोजराज जाति महाजन निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
9. बसन्ती लाल पुत्र दुर्गाशंकर माली जाति माली निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
10. श्री चन्द प्रकाश जैन पुत्र जगदीश प्रसाद जैन जाति महाजन निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

मूर्ती मन्दिर श्री सांवलिया जैन मन्दिर श्वेताम्बर चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा जरिये प्रबन्धक

1. उम्मेद मल पुत्र मांगी लाल (मृतक)
2. जम्बु कुमार पुत्र चौथमल
3. भैरूलाल पुत्र किस्तूर चन्द
4. चन्द्रप्रकाश पुत्र बाबू लाल
   जाति जैन महाजन निवासी चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
5. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 26.04.2010

उपस्थितिः—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. श्री अब्दुल बहाव वकील अपीलान्ट
2. श्री कमलेश कुमार जैन

नि र्ण य **दिनांकः—14.02.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 26.04.2010 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया था कि गत ख0 नं0 1832 रकवा 10 हाल ख0 नं0 1307 रकवा 12 एयर तथ गत ख0 नं0 1833 रकवा 1 बीघा 10 के हाल ख0 नं0 1306 रकवा 36 एयर ग्राम चौथ का बरवाडा में स्थित है हाल ख0नं0 1307 उत्तर दिशा में स्थित मंदिर मूर्ती सांवलिया जैन मंदिर के कब्जे काश्त की आराजी है। बन्दोवस्त विभाग ने गलत तरमीम कर दी है जिसे दुरूस्त कर हाल ख0 नं0 1307 में संशोधन करते हुऐ हाल ख0 नं0 1306 में ही ख0 नं0 1307 को उत्तर दिशा की ओर दुरूस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें अंकित किया कि आराजी ख0 नं0 1307 रकवा 12 एयर की खातेदारी मंदिर के नाम है परन्तु कब्जा नही है। जिसमें ग्राम पंचायत ने बेचान किये गये आवासीय मकान बने हुऐ है। ख0 नं0 1308 रकवा 755 वर्गमीटर तथा ख0 नं0 1299 में से 445 वर्गमीटर भूमि ख0 नं0 1307 के बदले में परिवर्तन किया जाता है तो मंदिर के नाम दर्ज खातेदारी का रकवा पूरा हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर रिकार्ड दुरूस्त करने के आदेश दिनांक 26.04.2010 को पारित किये। इस आदेश के विरूद्व यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि बन्दोवस्त विभाग द्वारा कोई गलती हुई है तो रैस्पो0 को नियमित वाद दायर कर दुरूस्त करवाना चाहिये। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नही किया है। उनका तर्क है कि रैस्पो0 ने पुराने नक्शा ट्रेस से साबित नही किया है कि हाल ख0 नं0 1299 व 1308 पर मूर्ती मन्दिर श्री सांवलिया जैन मंदिर का कब्जा रहा हो। पटवारी हलका से मिलकर मौके पर ख0 नं0 1307 पर कब्जा न होना बताकर झूठी रिपोर्ट करवायी है। जबकि रैस्पो0 का ख0 नं0 1307 पर ही कब्जा काश्त रहा है। अधीनस्थ न्यायलाय का निर्णय विरोधाभासी है। रैस्पो0 द्वारा ख0 नं0 1306 में ही 1307 को नक्शा ट्रेस में दुरूस्त कराने का निवेदन किया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ख0 नं0 1299 व 1308 में कब्जा होना मानकर निर्णय पारित किया है। उनका यह भी तर्क है कि रैस्पो0 के नाम ख0 नं0 1832 रकवा 10 विस्वा की खातेदारी रही है जिसका हाल ख0 नं0 1307 बनाया है जो आबादी न होकर रिकार्ड में बंजर दर्ज है और मौके पर रैस्पो0 का कब्जा काश्त रहा है। इसलिये रैस्पो0 का कथन स्वतः ही गलत हो जाता है कि सैटिलमेन्ट विभाग ने गलती की है। रैस्पो0 माफी मंदिर की भूमि की आड़ में आबादी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है। जबकि रैस्पो0 का आबादी भूमि से कोई वास्ता नही है। उनका

तर्क है कि धारा 136 के तहत केवल राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राजों में केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है। जैसाकि 2015 (1) आरआरडी 10 (सुप्रीम कोर्ट) ने व्यवस्था दी है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही था इसलिये निर्णय की जानकारी नही हुई थी। अपीलान्ट ने धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र व धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया है। न्यायालय को गुणावगुण पर विचार किये बिना सिर्फ बिलम्ब पर निर्णय पारित नही करना चाहिये जैसाकि 2013(1) आरण्लडब्जू 268 (राज. उच्च न्यायालय) ने व्यवस्था दी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि अपील आमजनता की ओर से की गई है जो चलने योग्य ही नही है। अपीलान्ट को अपील पेश करने का लोकसस्टैण्डाई नही है। अपीलान्ट यदि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही थे तो उन्हें धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर अपील पेश करने की इजाजत लेनी चाहिये थी। अपीलान्ट ने अपील पेश करने की पूर्व इजाजत नही ली है। उनका यह भी तर्क है कि अपील 7 वर्ष बाद पेश की गई है जो मियाद बाहर है। अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। सैटिलमेन्ट ने नक्शे में गलत जगह नम्बर बना दिया था। जबकि कब्ज अन्य जगह था। अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 के रकवे की पूर्ती ख0 नं0 1299 एवं 1308 में से की है जो सही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया था कि गत ख0 नं0 1832 करवा 10 हाल ख0 नं0 1307 रकवा 12 एयर तथ गत ख0 नं0 1833 रकवा 1 बीघा 10 के हाल ख0 नं0 1306 रकवा 36 एयर ग्राम चौथ का बरवाडा में स्थित है हाल ख0नं0 1307 उत्तर दिशा में स्थित मंदिर मूर्ती सांवलिया जैन मंदिर के कब्जे काश्त की आराजी है। बन्दोबस्त विभाग ने गलत तरमीम कर दी है, जिसे दुरूस्त कर हाल ख0 नं0 1307 में संशोधन करते हुऐ हाल ख0 नं0 1306 में ही ख0 नं0 1307 को उत्तर दिशा की ओर दुरूस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर आराजी ख0 नं0 1308 रकवा 755 वर्गमीटर तथा ख0 नं0 1299 में से 445 वर्गमीटर भूमि ख0 नं0 1307 के बदले दिया जाकर रकवा पूरा किया है। रैस्पो0 के नाम ख0 नं0 1832 रकवा 10 विस्वा की खातेदारी रही है जिसका हाल ख0 नं0 1307 बनाया है जो आबादी न होकर रिकार्ड में बंजर दर्ज है। जैसाकि खसरा गिरदावरी सं0 2062 से 2065 एवं 2066 से 2069 से स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय ने आबादी भूमि के ख0 नं0 1299 व 1308 में रकवा देकर कमी रकवा की पूर्ती की है जो उचित नही है। ख0 नं0 1299 व 1308 अलग अलग दिशाओं में है। किसी एक खसरा नम्बर के रकवे को दो दिशाओं में बीच के नम्बरों को लॉघकर किसी खसरा नम्बर की पूर्ती किया जाना न्यायोचित नही है। रैस्पो0 स्वंय यह कहकर आये है कि हाल ख0 नं0 1307 में संशोधन करते हुऐ हाल ख0 नं0 1306 में ही ख0 नं0 1307 को उत्तर दिशा की ओर दुरूस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय को रैस्पो0 के कथन के अनुसार रिकार्ड की जॉच करनी चाहिये थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत् नही है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर पुनः निर्णय के लिये रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवचेन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.04.2010 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार से मौका व साबिक हाल मिलान की रिपोर्ट लेकर राजस्व रिकार्ड का भलीभॉति अवलोकन कर विधि सम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official